

## फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- ग्राम पंचायत घासा

विपक्षी :- राज्य

किस्म मुकदमा :- 131 एलआरएक्ट

पत्रावली संख्या :- 136/25 वाद

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/481

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 19.11.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ग्राम दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा के खसरा नम्बर 6273/5801 रकबा 0.8417 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत घासा आबादी के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान हेतु ग्राम पंचायत ने आरक्षित कर रखी है, परन्तु सेग्रीगेशन के समय ऑनलाईन नक्शा अनुसार उक्त तरमीम खेल मैदान के स्थान पर नहीं कर अन्यत्र स्थान पर तरमीम कर दी गई जो की त्रुटिपूर्ण है। अंत में निवेदन किया की तरमीम को खेल मैदान की वर्तमान स्थान पर करने की कृपा करावे।</p> <p>तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत को उक्त भूमि 26.12.1975 को आवंटन हुई थी। नामान्तरकरण फर्द पर आवंटित भूमि का नक्शा लगा हुआ है। ग्राम पंचायत के पत्रानुसार उक्त आबादी भूमि ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुर्गावतो का नोहरा के खेल मैदान हेतु आरक्षित रखी गई है। मौके पर खेल मैदान बना हुआ है। जो संलग्न राजस्व खसरा नक्शा में ए से डी दर्शाया गया है। नक्शा लट्ठा शीट में इस पेन्सिल से दर्शाया हुआ है। मौके पर उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। सेग्रीगेशन भू-नक्शा में उक्त भूमि खसरा संख्या 6273/5801 को अन्यत्र तरमीम किया गया है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम पंचायत को उक्त भूमि 26.12.1975 को आवंटन हुई थी। ग्राम पंचायत के पत्रानुसार उक्त आबादी भूमि ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुर्गावतो का नोहरा के खेल मैदान हेतु आरक्षित रखी गई है। मौके पर खेल मैदान बना हुआ है। नक्शा लट्ठा शीट में अवलोकन करने से जाहीर होता है कि पेन्सिल से तरमीम भी की गई है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार सेग्रीगेशन भू-नक्शा में उक्त भूमि खसरा संख्या 6273/5801 को अन्यत्र तरमीम किया गया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी ऑनलाईन का कार्य करते समय राजस्व नक्शे में उक्त आराजीयात की तरमीम साबिक लट्ठा नक्शा एवं मौके अनुसार नहीं कर अपने मनमुताबिक कर दी गई। जबकि राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम आदेश के ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शे में की गई त्रुटि को सुधारा जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>-: आदेश :-</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का पलाना घासा तहसील घासा आराजी नम्बर 6273/5801 किता 1 कुल रकबा 0.8417 हैक्टेयर भूमि को राजस्व नक्शे में लट्ठा नक्शा एवं मौके अनुसार दर्ज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p>	

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)

सहायक कलक्टर

(SDO) मावली

